सिडबी द्वारा शुरू की गई कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

योजना	प्रयोजन
प्रत्यक्ष वित्त योजना	अत्यंत लघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना /विस्तार /विविधीकरण / आधुनिकीकरण /प्रौद्योगिकी उन्नयन
प्राप्य वित्त योजना	अत्यंत लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के सामने आ रही चलनिधि समस्या से उबरने के लिए
अत्यंत लघु, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र की ऊर्जा बचत योजना	ऊर्जा बचत मशीनों/उपकरणों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए
अल्प वित्त संस्थाओं के लिए सहायता	अत्यंत लघु उद्यमों और कृषि-संबद्ध गतिविधियों सहित गैर-कृषि आय-अर्जक गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

Some other offerings from SIDBI

Scheme	Purpose
Direct finance scheme	For Setting up/ Expansion/ Diversification/ Modernisation/ Technology Upgradation of MSMEs
Receivable finance scheme	For overcoming the cash flow problems faced by MSMEs
Scheme for energy saving in MSME sector	For encouraging investment in energy saving machines/equipment
Assistance to Micro Finance Institutions	For providing assistance to micro enterprises & non-farm income generating activities including agri-allied activities

संपर्क

नि:शुल्क दूरभाष सं.	1800 22 6753	
ऋण विभाग, मुंबई	credit_mho@sidbi.in 022-67531100	
अंचल कार्यालय	उत्तर अंचल कार्यालय	011 - 23682463
	पश्चिम अंचल कार्यालय	022 - 67531100
	पूर्वी अंचल कार्यालय	033 - 22904165
	दक्षिण अंचल कार्यालय	044 - 28413701
	पूर्वोत्तर अंचल कार्यालय	0361 - 2464212
	मध्य अंचल कार्यालय	0522 - 2287041

Contact

Toll free no:	1800 22 6753	
Credit Department, Mumbai	credit_mho@sidbi.in 022-67531100	
Zonal offices	Northern Zonal Office	011 - 23682463
	Western Zonal Office	022 - 67531100
	Eastern Zonal Office	033 - 22904165
	Southern Zonal Office	044 - 28413701
	North Eastern Zonal Office	0361 - 2464212
	Central Zonal Office	0522 - 2287041

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

FACE

Flexible Assistance for Capital Expenditure

A SCHEME TO KEEP YOU SMILING

SIDBI

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

We empower Micro, Small & Medium Enterprises

लचीली पूंजी व्यय सहायता

आवश्यकता

वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के लिए, अत्यंत लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम आधुनिकीकरण, विविधीकरण और विशेष रूप से विनिर्माण की सर्वोत्तम सुविधाएँ निर्मित करने के लिए उत्तरोत्तर निवेश कर रहे हैं। अनेक बार, इन निवेशों के लिए भूमि और भवन में अत्यधिक व्यय की आवश्यकता होती है, जो पूंजी व्यय का काफी बड़ा हिस्सा अर्थात् 60-80% होता है, जबकि परियोजना लागत में संयंत्र एवं मशीनों में निवेश तुलनात्मक रूप से कम होता है। लिए भूमि और भवन में निवेश दीर्घकालिक प्रतिफल पाने के लिए किया जाता है, जबकि संयंत्र एवं मशीनों में निवेश मध्यम अवधि के प्रतिफल के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के विकास और टूट-फूट /घिसाव के कारण उनका आर्थिक जीवन कम हो जाता है।

अत्यंत लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम उत्तरोत्तर यह महसूस करते आ रहे हैं कि सावधि ऋण की चुकौती में लचीलापन होना चाहिए, ताकि उसमें परियोजना लागत के विभिन्न घटकों के लिए एक से अधिक चुकौती अनुसूचियों का विकल्प उपलब्ध हो सके, जो निवेश के घटकों से संबंधित निवेश-स्वरूप, उनके आर्थिक जीवनकाल और उनसे अपेक्षित नक़दी-प्रवाह पर आधारित हों।

अत्यंत लघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय शीर्ष संस्था होने के कारण, सिडबी सदैव ही अत्यंत लघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों की उभरती ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील रहा है और उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उसने नए /अपेक्षानुरूप उत्पादों का विकास किया है।

सिडबी सहर्ष अत्यंत लघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक से अधिक चुकौती अनुसूची वाली लचीली पूंजी व्यय सहायता योजना शुरू कर रहा है।

लचीली पूंजी व्यय सहायता

- ✓ परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए लचीला सावधि ऋण अर्थात् (क) अचल आस्तियों और (ख) अन्य स्थिर आस्तियों के लिए अलग-अलग ऋण।
- ✓ अचल और अन्य स्थिर आस्तियों के लिए संयुक्त रूप से या अलग-अलग पूंजी व्यय योजना बनाने का लचीलापन।
- ✓ प्रत्येक घटक की ऋण-अवधि का निर्धारण उसके आर्थिक जीवन-काल और नक़दी प्रवाह के आधार पर किया जाना।
- ✓ प्रत्येक घटक की ऋण-अवधि के आधार पर उसकी ब्याजदर।
- ✓ जब तक सावधि ऋण की चुकौती अल्पावधि उधार से नहीं की जाती है, तब तक कार्यशील पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

लचीली पूंजी व्यय सहायता

पात्र उधारकर्ता	✓ नए /मौजूदा अत्यंत लघु लघु एवं मध्यम उद्यम ✓ मौजूदा अत्यंत लघु लघु एवं मध्यम उद्यमों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक हो और उसने किसी बैंक / वित्तीय संस्था के प्रति चूक न की हो।
पात्र निवेश	निम्नलिखित के लिए वास्तविक पूंजी व्यय – ✓ ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ ✓ मौजूदा गतिविधियों का आधुनिकीकरण /प्रौद्योगिकी उन्नयन /विविधीकरण ✓ अमूर्त मदों, जैसे विपणन एवं ब्रांड निर्माण, आईएसओ प्रमाणन, पेटेन्ट, आदि
सहायता की प्रमात्रा	आवश्यकता-आधारित, सामान्यतः 10 लाख रुपये से कम नहीं। सहायता प्रत्येक घटक, अर्थात् अचल एवं अन्य स्थिर आस्तियों के लिए संयुक्त रूप में या अलग-अलग हो सकती है।
प्रवर्तक अंशदान	✓ नई परियोजनाएँ – सामान्यतः परियोजना लागत के 33% के कम नहीं। ✓ मौजूदा परियोजनाएँ – सामान्यतः परियोजना लागत के 25% के कम नहीं। ऋण के प्रत्येक घटक के लिए अलग-अलग प्रवर्तक अंशदान पर विचार किया जा सकता है।
ऋण-ईक्विटी अनुपात	समग्र ऋण-ईक्विटी अनुपात 2:1 से कम नहीं होना चाहिए।
ब्याजदर	ऋण के प्रत्येक घटक के श्रेणीनिर्धारण और उनकी अवधि के आधार पर।
चुकौती अवधि	✓ अचल आस्तियों के लिए – आवश्यकता-आधारित। ऋण-स्थगन अवधि सहित अधिकतम चुकौती अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ✓ अन्य स्थिर आस्तियों के लिए – आवश्यकता-आधारित। ऋण-स्थगन अवधि सहित अधिकतम चुकौती अवधि 7 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रतिभूति	✓ सभी वित्तपोषित आस्तियों पर प्रथम प्रभार। ✓ उधारकर्ता के मौजूदा आस्तियों पर प्रथम /समरूप /द्वितीय प्रभार। ✓ प्रवर्तक की व्यक्तिगत गारंटी ✓ बैंक के मानदंडों के अनुसार समग्र आस्ति सुरक्षा।

FLEXIBLE ASSISTANCE FOR CAPITAL EXPENDITURE [FACE]

NEED

MSMEs are increasingly investing in modernisation, diversification and more particularly, creating best manufacturing facilities to meet global standards. These investments, at times, need heavy expenditure in land and building which constitute a substantial part [i.e.60%-80%] of the capital expenditure, whereas investment in plant & machinery are comparatively small [i.e. 20%-40%] of project cost. Investment in land & building is made to get long term returns, whereas investments in plant & machinery are made for medium term returns as change in technology, development in alternate technology, wear & tear reduce their economic life.

It has been increasingly felt by the MSMEs that the repayment of a term loan should have flexibility to offer multiple repayment schedules for different components of project cost depending upon the nature of investment, economic life and expected cashflow from such components of investments.

SIDBI, being the apex financial institution for MSMEs, has always been sensitive to the emerging needs of MSMEs and has developed new / customised products to meet the requirements of MSMEs.

SIDBI is pleased to introduce **Flexible Assistance for Capital Expenditure [FACE]** with multiple repayment Schedule for MSMEs.

SALIENT FEATURES OF FACE

- ✓ Flexible term loans for different components of a project [i.e. separate loan for (a) investment in immovable assets and (b) other fixed assets].
- ✓ Flexibility to plan capital expenditure for immovable and other fixed assets jointly or separately.
- ✓ Tenure of each component linked with its economic life and cash flow.
- ✓ Interest rate for each component based on their tenure.
- ✓ No impact on working capital as long term loan is not paid from short term borrowings.

Flexible Assistance for Capital Expenditure

Eligible borrower	✓ New / existing MSMEs. ✓ Existing MSMEs should have satisfactory performance and should not be in default to banks / FIs.
Eligible Investment	All bonafide capital expenditure for – ✓ Greenfield projects ✓ Modernisation /technology upgradation/ diversification of existing activities. ✓ Investments in intangibles like, marketing & brand building, ISO certification, patents, etc.
Quantum of Assistance	Need based, generally not less than Rs. 10 lakh. The assistance could be jointly or separately for each component, i.e. immovable assets and other fixed assets
Promoters' Contribution	✓ New Project – Generally not less than 33% of project cost. ✓ Existing project – Generally not less than 25% of project cost. Promoters' contribution could be considered separately for each component of loan.
Debt Equity Ratio [DER]	Overall DER should not be less than 2 :1.
Interest rate	Based on rating and tenure of each component of loan.
Repayment period	✓ For Immovable Assets – Need based. Maximum repayment period should not be more than 10 years including moratorium. ✓ For Other Fixed Assets – Need based. Maximum repayment period should not be more than 7 years including moratorium.
Security	✓ First charge on all the assets financed. ✓ First / pari-passu / second charge on existing fixed assets of the borrower. ✓ Personal guarantee of promoters. ✓ Overall asset coverage as per Bank's norms.